न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— एम0आर0बागड़िया
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 81/2016

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह उम्र 40 साल जाति राजपूत निवासी सुलताना, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू।

—बनाम—

अध्यक्ष शंकरदास जी डूंगरसीदास चेरिटेबल टस्ट सुलताना, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू।

प्रार्थना—पत्र धारा—5 मियाद अधिनियम

उपस्थितिः—

1 .श्री रविन्द्र सिंह शेखावत, एडवोकेट —— ————————निगरानीकार की ओर से ।

2. श्री मनोहर लाल सैनी, एडवोकेट ——— —— गैर निगरानीकार नंबर 1 से 3 की ओर से ।

3. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट———————— गैर निगरानीकार नंबर—5 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 22.5.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/निगरानीकार ने निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी /निगरानीकार गैर निगरानीकार द्वारा गलत रूप से जारी पट्टे की जानकारी माह जून 2017 में लगी। जिसके पश्चात् प्रार्थी/निगरानीकार ने उक्त गलत रूप से जारी पट्टे के कागजात सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किये एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति चिड़ावा एवं उच्च अधिकारियों को शिकायत की जिसके पश्चात बाद जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति चिड़ावा ने उक्त पटटे को गलत रूप से जारी होना माना। अब प्रार्थी/निगरानीकार उक्त गलत पट्टे को निरस्त करवाने के लिए न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह निगरानी पेश कर रहा है। प्रार्थी के उक्त पट्टा जानकारी के रोज से यह निगरानी अन्दर मियाद है, परन्तु फिर भी कोई कानूनी खामी नहीं रहे, इसलिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/निगरानीकार को दफा 5 मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर प्रार्थी की निगरानी की सुनवाई की जावे।

प्रार्थना पत्र/निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के खण्डन में अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर प्रार्थन पत्र धारा 5 में दर्ज तथ्यों से इन्कार किया तथा कथन किया कि– निगरानीकार को वर्तमान पट्टे की जानकारी पट्टा जारी होने के दिवस से ही थी निगरानीकार केवल रेस्पोडेन्ट ट्रस्ट के लोगों से द्वेषता रखता है। इस कारण से अब यह बिना किसी आधार के काफी अर्सा करीब 20 वर्ष की देरी से निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है। इस देरी का ऐसा कोई सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण भी निगरानीकार ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किया है। निगरानीकार ने स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि उसको तथाकथित पट्टे की जानकारी माह जून 2017 में हुई है। जून महिने की कौनसी तारीख को हुई दर्ज नहीं किया है तथा जानकारी के रोज से निगरानी अन्दर मियाद होना दर्ज किया है, जबकि निगरानीकार ने निगरानी दिनांक 28.11.2017 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है। निगरानीकार ने तथाकथित जो धारा 5 मियाद अधि0 का आवेदन पत्र पेश किया है वह प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है। निगरानीकार ने यह तथ्य बिल्कुल झूठा दर्ज किया है कि उसको पट्टे की जानकारी माह जून 2017 में हुई हो वरन पट्टे की जानकारी निगरानीकार को पट्टा जारी होने के दिन दिनांक 30.3.1999 से ही थी। इस प्रकार अर्सा करीब 20 वर्ष बाद यह निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है जिसका कोई सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण भी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व प्रस्ताव पारित किया है जिसके आधार पर ट्रस्ट के नाम से पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार ने ग्राम पंचायत का संकल्प संख्या 318 दिनांक 03.2.99 को खारीज करवाने हेतु किसी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं चाही गई है। इस प्रकार उक्त संकल्प प्रस्ताव संख्या 318 दिनांक 03.2.99 को खारिज करवाये बिना कानून पट्टा खारीज नहीं करवाया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय बृजलाल बनाम राजस्थान सरकार आर0एल0डब्ल्यू0 1999 (3) राज0 पेज 1390 एवं निर्णय रेणू देवी बनाम स्टेट आफ राजस्थान 2015 (4) डीएनजे राज पेज 1853 व रमेश चन्द्र बनाम रामचरन सिंह व अन्य 2013 (1) आर0एल0 डब्ल्यू पेज 164 तथा यूनियन आफ इण्डिया बनाम श्रीमती किशना देवी व अन्य 1995 (1) आर0 एल0 डब्ल्यू पेज 580, आर0 एल0 डब्ल्यू 1999 (2) राज0 पेज 914 प्रस्तुत कर उक्त न्यायिक दृष्टांतो का उल्लेख करते हुये कथन किया गया कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वर्तमान निगरानी निगरानीकार ने पट्टा जारी होने के करीब 20 वर्ष के अत्यधिक असामान्य विलंब से प्रस्तुत की गई है और उक्त असामान्य विलंब का माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने जो बृजलाल बनाम स्टेट आफ राजस्थान में युक्तियुक्त समय के संबंध में एक अथवा दो वर्ष होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में विलंब माफी योग्य नहीं हो सकता। निगरानी को मियाद में माना जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ग्राम पंचायत सुलताना ने पट्टा आबादी भूमि का होना बताकर जारी किया है। पट्टाधारी ने भी आबादी भूमिका पट्टा चाहा है। जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया हों। पट्टा आवेदन आबादी भूमि का और ग्राम पंचायत ने पट्टा आबादी भूमि कथित कर ही जारी किया है तथा ट्रस्ट भी जारी शुदा पटटा बने कुए का उपयोग सार्वजनिक रूप से लोगों के पीने के पानी के लिए तथा पशुओं को पानी पिलाने के लिए ही कर रहा है।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

Scanned by CamScanner

ट्रस्ट का स्वयं का उसमें कोई हित नहीं है। निगरानी अत्यधिक विलंब से पेश हुई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में ग्राम पंचायत सुलताना की पट्टा पत्रावली तलब की गई प्राप्त होने पर विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्राथी/निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि – प्रार्थी /निगरानीकार गैर निगरानीकार द्वारा गलत रूप से जारी पट्टे की जानकारी माह जून 2017 में लगी। जिसके पश्चात् प्रार्थी/निगरानीकार ने उक्त गलत रूप से जारी पट्टे के कागजात सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किये एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति चिड़ावा एवं उच्च अधिकारियों को शिकायत की जिसके पश्चात बाद जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति चिड़ावा ने उक्त पटटे को गलत रूप से जारी होना माना। प्रार्थी के उक्त पट्टा जानकारी के रोज से यह निगरानी अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थी/निगरानीकार को दफा 5 मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर प्रार्थी की निगरानी की सुनवाई की जावे।

अप्रार्थी/ गैर निगरानीकार नंबर 1 से 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि–– निगरानीकार को वर्तमान पट्टे की जानकारी पट्टा जारी होने के दिवस दिनांक 30.3.1999 से ही थी। निगरानीकार केवल रेस्पोडेन्ट ट्रस्ट के लोगों से द्वेषता रखता है। इस कारण से अब यह बिना किसी आधार के काफी अर्सा करीब 20 वर्ष की देरी से निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है। इस देरी का ऐसा कोई सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण भी निगरानीकार ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किया है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र निगरानी के सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना कानून विरूद्ध होने के कारण प्रथमदृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/ गैर निगरानीकार नंबर 1 से 3 ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय बृजलाल बनाम राजस्थान सरकार आर0एल0डब्ल्यू0 1999 (3) राज0 पेज 1390 एवं निर्णय रेणू देवी बनाम स्टेट आफ राजस्थान 2015 (4) डीएनजे राज पेज 1853 व रमेश चन्द्र बनाम रामचरन सिंह व अन्य 2013 (1) आर0एल0 डब्ल्यू पेज 164 तथा यूनियन आफ इण्डिया बनाम श्रीमती किशना देवी व अन्य 1995 (1) आर0 एल0 डब्ल्यू पेज 580, आर0 एल0 डब्ल्यू 1999 (2) राज0 पेज 914 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वर्तमान निगरानी निगरानीकार ने पट्टा जारी होने के करीब 20 वर्ष के अत्यधिक असामान्य विलंब से प्रस्तुत की गई है और उक्त असामान्य विलंब का माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने जो बृजलाल बनाम स्टेट आफ राजस्थान में युक्तियुक्त समय के संबंध में एक अथवा दो वर्ष होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में विलंब माफी योग्य नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति में इस निगरानी को मियाद में माना जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ग्राम पंचायत सुलताना ने पट्टा आबादी भूमि का होना बताकर जारी किया है। पट्टाधारी ने भी आबादी भूमिका पट्टा चाहा है। जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया हों। पट्टा आवेदन आबादी भूमि का और ग्राम पंचायत ने पट्टा आबादी भूमि कथित कर ही जारी किया है तथा ट्रस्ट कुए का उपयोग सार्वजनिक रूप से लोगों के पीने के पानी के लिए

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

Scanned by CamScanner

तथा पशुओं को पानी पिलाने के लिए ही कर रहा है। ट्रस्ट का स्वयं का उसमें कोई हित नहीं है। निगरानी अत्यधिक विलंब से होने से प्रस्तुत हुई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार संख्या–5 ने कथन किया कि निगरानी पेश करने के लिए कोई निर्धारित सीमा तय नहीं है। निगरानी जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत हुई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियांद अधिनियम स्वीकार किया जाकर निगरानी अंदर मियाद मानीजावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। एवं विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का समसम्मान ध्यानपूर्वक अध्ययनन किया। निगरानीकार ने पट्टा संख्या 32 दिनांक 30.3.1999 को इस न्यायालय में चुनौति करीब 20 वर्ष बाद इस निगरानी के मार्फत दी है, जिसके साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और प्रार्थना पत्र के समर्थन में निगरानीकार ने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में माह जून 2017 में जानकारी होना दर्ज किया है।

प्रार्थना पत्र के खण्डन में गैर निगरानीकार संख्या 1 से 3 ने जवाब प्रस्तुत किया है और अपने जवाब के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 से 3 का कथन है कि पट्टेशुदा भूमि वर्षों से उनके कब्जे में है और गैर निगरानीकार संख्या 1 से 3 का कब्जा निगरानीकार हमेशा देखता आ रहा है और पट्टे की जानकारी निगरानीकार को हमेशा से रही है।

हस्तगत प्रकरण में धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत निगरानी प्रस्तुत की गई है। धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या–1 से 3 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0एल0 डब्ल्यू 1999 (3) राज0 पेज 1390 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय बृजलाल बनाम राजस्थान सरकार में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धात किया है कि जहां पर परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं हो तो उस मामले में युक्तिसंगत समय अवधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिए और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि युक्तिसंगत समय एक अथवा 2 वर्ष तक ही हो सकता है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 में निगरानी प्रस्तुत करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है और निगरानीकार ने करीब 20 वर्ष बाद यह निगरानी पेश की है। उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में बखूबी चस्पा होता है।

इसी परिदृष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय रेणू देवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2015 (4) डी.एन.जे. राज0 पेज 1853 में भी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा–97 के अन्तर्गत 24 वर्ष बाद आवंटित भूमि का पट्टा निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत हुई है जिसमें भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि असामान्य विलंब के बाद निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती, युक्तियुक्त समय में पक्षकार को निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत रमेश चन्द्र बराम रामचरन सिंह व

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

Scanned by CamScanner

अन्य 2013 (1) आर0 एल0 डब्ल्यू पेज 164 के निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि निगरानी असामान्य विलंब के बाद ग्रहण नहीं की जा सकती। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में रेणू देवी के मामले में 24 वर्ष के बाद पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत हुई है व रमेश चन्द्र बनाम रामचरन सिंह व अन्य मामले में 20 वर्ष के बाद निगरानी प्रस्तुत हुई है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को मध्यनजर रखते हुये यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वर्तमान निगरानी निगरानीकार द्वारा पट्टा जारी होने के करीब 20 वर्ष बाद, अत्यधिक असामान्य विलंब से प्रस्तुत की गई है और उक्त असामान्य विलंब का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो बृजलाल बनाम स्टेट ऑफ राज़स्थान में युक्तिसंगत समय के सम्बन्ध में एक अथवा दो वर्ष होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में विलंब माफी योग्य नहीं हो सकता । उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में बखूबी लागू होते हैं । विद्धान अधिवक्ता निगरानीकार ने उक्त न्यायिक दृष्टांत के खण्डन में कोई कानून प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उक्त न्यायिक दृष्टांत को नहीं मानने का मेरे समक्ष कोई कारण प्रतीत नहीं होता । ग्राम पंचायत सुलताना की पट्टा पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा आबादी भूमि का होना मानकर जारी किया है। और गैर निगरानीकार ट्रस्ट द्वारा भी आबादी भूमि में अपने वर्षों पुराने कब्जे के आधार पर ही आबादी भूमि का पट्टा चाहा है। प्रकरण में भूमि की किस्म को लेकर विवाद है ऐसी सूरत में निगरानीकार अपने सुखाधिकारों के संबंध में गैर मु0 कुआ राजकीय भूमि के संबंध में अपने हक अधिकारों को सक्षम न्यायालय में तय करवाने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो में पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में जिनके खण्डन में मेरे समक्ष कोई कानून प्रस्तुत नहीं हुआ। उपरोक्त निगरानी अत्यधिक विलंब/देरी से प्रस्तुत होने से एवं निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज देरी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 मियादा अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायाचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी /निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा मूल निगरानी के संलग्न रहे। मिसल ग्राम पंचायत सुलताना आदेश प्रति सहित लौटायी जाये।

22/5/18

(एम0आर0बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 22.5.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/5/18

(एम0आर0बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

Scanned by CamScanner